

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम महुआखुर्द तहसील बनेड़ा

पीठासीन अधिकारी – श्री संजय माथुर

(आर.ए.एस.)

119/2015

उनवान

सोतायन पिता लक्ष्मीनारायण ब्राहमण निवासी महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

_____ (प्रार्थी)

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

_____ (अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

:: निर्णय ::

दिनांक – 30.06.2016


वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे 30.06.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सम्मत 2070 से 2073 की जमाबंदी अनुसार वाके ग्राम महुआखुर्द क्षेत्र महुआखुर्द भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र महुआखुर्द तहसील बनेड़ा की कृषि भूमि खाता संख्या 678 के आ0न0 6/1, 3 कुल रकबा 08-00 बीघा स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के खाते के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे वादी अपने खाते में नुस्ते की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे। प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम महुआखुर्द मे दिनांक 30.06.2016 को पंजीबद्ध गया। विपक्षीगण द्वारा राजस्व लोक अदालत मे उपस्थित होकर कोई आपत्ति नहीं होना बताया। इस प्रकार की ओर से कोई उजरदारी पेश नहीं होने से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के विरुद्ध उनकी ओर से आपत्ति नहीं है।

प्रस्तुत वाद के पक्ष पर पक्षकार को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक पढ़ा गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवादित प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते में है और इस प्रकार एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः न्यायालय की भावना से प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

ग्राम महुआखुर्द पटवार क्षेत्र महुआखुर्द भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र महुआखुर्द तहसील बनेड़ा की कृषि भूमि खाता संख्या 678 के आ0न0 6/1, 2677/6 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 08-00 बीघा की पत्थरगढ़ी बशामलात पक्षकारानुसार बनेड़ा करावे। प्रार्थी इस कार्य के लिए भू0अ0नि0 की कमिश्नर फीस 800/- रुपये पत्थरगढ़ी के समय में जमा करावे। राशि जमा होने पर विधिवत पत्थरगढ़ी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प महुआखुर्द मे सरे इजलास सुनाया गया।


(संजय माथुर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा